

अध्याय

3

उत्तरदाताओ की
सामाजिक, आर्थिक,
राजनैतिक,
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

उत्तरदाताओं की सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक पृष्ठभूमि:—

व्यक्ति का व्यवहार तथा मनोवृत्ति को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक पृष्ठभूमि काफी प्रभावित करती है। व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसी के अनुरूप उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। क्योंकि समाज में प्रचलित व्यवहार प्रतिमान, मूल्यों, प्रथाओं आदि से उसके व्यवहार प्रतिमान निर्धारित होते हैं। और उसी के अनुरूप अपने भूमिका का निर्वाह करते हैं। प्रारम्भ में सामाजिक व्यवस्था में परम्परागत मूल्यों की प्रधानता थी। किन्तु अब आधुनिक युग में प्रौद्योगिकी मूल्यों ने व्यक्ति को तर्क संगत बना दिया है। तथा यह व्यक्ति को परम्परागत तथा आधुनिक मूल्यों में समाहित कर दिया है।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में मुस्लिम समुदाय की प्रस्थिति अनेकों निषेधों और आदर्शों द्वारा निर्धारित होती है। इन बदलते परिवेश में सरल तथा आधुनिक समाजों में असमान्य एक स्वाभाविक घटना है। आधुनिक प्रौद्योगिकी ने मुस्लिम समाजों के नवीन मूल्यों आदर्शों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। यह सत्य है कि मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में राजनैतिक मूल्य और राजनैतिक सहभागिता को अलग नहीं किया जा सकता।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में हमारा उद्देश्य मुसलमानों में जाति सम्बन्धी होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना है कि इस बदलती हुई सामाजिक परिवेश की प्रक्रिया में उनके क्रिया कलापों, सामाजिक व्यवहारों, रीतिरीवाजों में परिवर्तन हुआ है।

प्रस्तुत अध्याय में उत्तरदाताओं की जातिगत, आयुगत, आयगत, मकान की बनावट, परिवार के सदस्यों की संख्या राजनैतिक दलों, नगरीय सम्पर्क, पत्र पत्रिकाओं, भू-आकार, शैक्षणिक

प्रस्थिति, व्यवसायिक प्रस्थिति, राजनैतिक जागरुकता पृष्ठभूमि की चर्चा की गयी है।

जातिगत प्रस्थिति और उत्तरदाताओं संख्या:—

भारत एक विभिन्न जातियों वाला देश है। यहाँ के कण-कण में जाति व्यवस्था विद्यमान है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जाति एक महत्वपूर्ण तत्व है। यहाँ तक की यह हिन्दू समुदायों के साथ-साथ कई अहिन्दू समुदायों को भी प्रभावित किया है। यहाँ तक की मुस्लिम समुदाय भी इससे अछुता नहीं है। वर्तमान में मुस्लिम समुदायों में भी विभिन्न जातियाँ बन गयी हैं। प्रारम्भ में इनमें जाति का विभाजन तो था लेकिन इनमें भेदभाव सम्बन्धी व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जाता था। लेकिन अब इनमें भी हिन्दू की भाँति भेदभाव पनपने लगे। जबकि इस्लाम के अनुसार सभी व्यक्ति बराबर हैं। कुरान में ऊँच नीच को नहीं स्वीकार किया गया है। परम्परागत सामाजिक व्यवस्था में जातिगत सामाजिक प्रस्थिति और राजनैतिक शक्ति संरचना का परिचायक है। इसका अपना एक अलग सामाजिक-सांस्कृतिक और धार्मिक, राजनैतिक वातावरण रहा है। वास्तव में कोई भी सामाजिक अध्ययन जातीय विश्लेषण के अध्ययन के वगैर अधुरा रहता है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में मैंने उत्तरदाताओं को जातिगत प्रस्थिति के आधार पर पाँच वर्गों में विभाजित किया है।

- (1) उच्च जातिगत प्रस्थिति
- (2) उच्च मध्यम जातिगत प्रस्थिति
- (3) मध्यम जातिगत प्रस्थिति
- (4) निम्न जातिगत प्रस्थिति
- (5) निम्नतम जातिगत प्रस्थिति

उत्तरदाताओं की जातिगत प्रस्थिति		
उत्तरदाताओं की जातिगत प्रस्थिति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
उच्च जाति	73	24.3
उच्च मध्यम	79	26.3
मध्यम	61	20.3
निम्न	59	19.6
निम्नतम	20	9.3
योग	300	100

उच्च जाति— सैयद, शेख, मुगल, पठान

उच्च मध्यम— कुरैशी राकी, मोमिन अन्सार, किसान, सैफी

मध्यम— धुनिया, राईन, हासमी, मनिहार, नाई, दर्जी, रंगरेज

निम्न— गुर्जर, डफाली, नियारगट, भटियारा, भड़यूजा, बंजारा, मिरासी, तेली, फकीर, कब्रखोदू

निम्नतम— धोबी, नट, मोची, मेरतर

यहाँ मध्यम जाति को उच्च मध्यम तथा मध्यम, मे और निम्न जाति को निम्न तथा निम्नतम जाति के रूप में विभाजित कर दिया गया है। क्योंकि शोध अन्तर्वस्तु की दृष्टि से इनका महत्व बहुत अधिक है। ये जातियाँ अपने सामाजिक जातिगत और आर्थिक, राजनैतिक प्रस्थिति में परिवर्तन के लिए अधिक अभिरुचि रखती हैं।

उपरोक्त तालिका द्वारा स्पष्ट होता है कि उच्च जाति के 24.3 प्रतिशत, उच्च मध्यम जाति के 26.3 प्रतिशत, मध्यम जाति के 20.3 प्रतिशत, निम्न जाति के 19.6 प्रतिशत और निम्नतम जाति के 9.3 प्रतिशत उत्तरदाता हैं।

शैक्षणिक प्रस्थिति और उत्तरदाताओं की संख्या —

शिक्षा समाजीकरण का एक अभिन्न अंग है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति का समाजीकरण तथा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास सम्भव है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद व्यक्ति में उचित और अनुचित का बोध होता है। शिक्षा प्राप्ति के उपरान्त ही वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तथा अपने आप को समाज के अनुरूप ढालता है। आज के नवीन अविष्कारिक युग में शिक्षा के वगैर दुनिया में एक कदम आगे बढ़ना मुश्किल कार्य है। पंचायत के माध्यम से या अन्य शिक्षा समितियों के माध्यम से जन-जन तक शिक्षा पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। मुसलमानों में शिक्षा की बहुत कमी है। मुसलमानों में शिक्षा आज भी चहारदिवारी तक ही सिमित है। आज भी मुस्लिम परिवार के लोग उच्च शिक्षा दिलाने में कतराते हैं। बच्चों को कम उम्र में ही व्यवसाय या छोटी-मोटी कम्पनियों में कार्य करने के लिए भेज देते हैं। मुस्लिम परिवार में तो लड़के उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन लड़कियां चाहते हुए भी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं। अभिभावकगण अपनी पुत्रीयों को स्कूलों, कालेजों में भेजना नहीं चाहते हैं। जबकि सर सैयद अहमद खॉं ने कहा था कि मुसलमानों यदि अपना विकास चाहते हों तो अंग्रेजी और आधुनिक शिक्षा पद्धति से जोड़ो। इन शिक्षा के माध्यम से अपना विकास सम्भव है। इन्हीं भावनाओं से उत्पन्न होकर उन्होंने मुसलमानों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में नैतिकता का गूण समाहित होता है। संविधान के अनुच्छेद (29) और (30) में संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों को मूल अधिकारों के रूप में मान्यता दी गयी है। ये अधिकार विशेषकर मुस्लिम समुदाय के सन्दर्भ में हैं। अनुच्छेद 29 के खण्ड 1 में यह उपबन्धित है कि भारत के राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी

भाग के निवासी नागरिकों के किसी भी भाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसको बनाये रखने का अधिकार होगा।¹

शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय मुसलमान काफी पिछड़ा हुआ है। निःसन्देह इस समुदाय को शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदाय की कोटि में रखा जा सकता है। मद्रास उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायधीश वशीर अहमद सईद के अनुसार जिन्होंने 1973 में दिल्ली में आयोजित आल इण्डिया मुस्लिम कन्वेंशन की अध्यक्षता की थी। केवल दस प्रतिशत मुस्लिम पुरुष तथा आधा प्रतिशत से भी कम मुस्लिम महिलायें 1971 में साक्षर थीं।

जिसका तात्पर्य यह है कि जब भारतीय समाज में साक्षरता 30 प्रतिशत थी तब उसी समाज के एक समुदाय मुस्लिम समुदाय की साक्षरता 6 प्रतिशत से भी कम थी।²

मुस्लिम मुदाय में शैक्षणिक प्रस्थिति में वर्तमान समय में उन्नयन हुआ है। शिक्षा के विकास के कारण ही लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्रों के काफी परिवर्तन हैं जो जातीय गतिशीलता में सहायक हैं।

1— त्रिपाठी प्रोफेसर प्रद्युम्न कुमार— भारतीय संविधान के प्रमुख तत्व, विधि, साहित्य प्रकाशन नयी दिल्ली 1981 पी 304

2— घोष एस0 के0— मुस्लिम इन इण्डियन डेमोक्रेसी आशीष, पब्लिशिंग हाउस नयी दिल्ली 1984 पी 461

प्रस्तुत अध्ययन में मैंने शैक्षणिक प्रस्थिति के आधार पर उत्तरदाताओं को चार भागों में विभाजित किया है।

- (1) शिक्षित एवं प्राइमरी
- (2) जूनियर तथा हाईस्कूल
- (3) इण्टरमीडिएट
- (4) स्नातक एवं इसके उपर

शैक्षणिक प्रस्थिति और उत्तरदाताओं की संख्या—

उत्तरदाताओं की शैक्षणिक प्रस्थिति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
शिक्षित एवं प्राइमरी	94	31.3
जूनियर तथा हाईस्कूल	77	25.6
इण्टरमीडिएट	68	22.6
स्नातक एवं इसके उपर	61	20.3
योग	300	100

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि शिक्षित एवं प्राइमरी वर्ग के 31.3 प्रतिशत जूनियर तथा हाईस्कूल 25.6 प्रतिशत इण्टरमीडिएट 22.6 प्रतिशत तथा स्नातक एवं इसके उपर के 20.3 प्रतिशत उत्तरदाता हैं।

भू- आकार (एकड़ में) और उत्तरदाताओं की संख्या—

ग्रामीण समाज में व्याप्त सामाजिक विषमता का संस्तरणात्मक स्वरूप भू-आकार से निर्धारित होता रहा है। निजी भू-आकार को उच्च सामाजिक आर्थिक प्रस्थिति और राजनैतिक शक्ति प्राप्त रही है। तो भू-व्यवस्था में संलग्न अन्य व्यक्तियों को क्रमशः निम्न सामाजिक, आर्थिक, प्रस्थिति और शक्ति संरचना प्राप्त हो रही है। वस्तुतः परम्परागत ग्रामीण समाज में भू-स्वामी और भूमिहीन दो वर्ग रहे हैं। भू-स्वामित्व ही सामाजिक, आर्थिक प्रस्थिति और शक्ति संरचना का निर्धारक रहा है। इसमें परिवर्तन से सामाजिक आर्थिक प्रस्थिति और शक्ति संरचना के प्रतिमान बढ़ले हैं। इन परिवर्तनों ने जातीय तथा व्यवसायिक गतिशीलता को प्रोत्साहित किया है।

प्रस्तुत अध्ययन में मैंने भू-आकार के आधार पर उत्तरदाताओं को पाँच वर्गों में विभाजित किया है।

- (1) 0-1 एकड़— इसके अन्तर्गत भूमिहीन तथा एक एकड़ भूमि वाले उत्तरदाताओं को सम्मिलित किया गया है।
- (2) 1-2.50 एकड़— इसके अन्तर्गत 1-2.50 एकड़ भूमि वाले उत्तरदाताओं को सम्मिलित किया गया है।
- (3) 2.50-3.50 एकड़— इसके अन्तर्गत 2.50-3.50 एकड़ भूमि वाले उत्तरदाताओं को सम्मिलित किया गया है।
- (4) 3.50-5.00 एकड़— इसके अन्तर्गत 3.50 से 5 एकड़ भूमि वाले उत्तरदाताओं को सम्मिलित किया गया है।

(5) 5.00 एकड़ से अधिक— इसके अन्तर्गत 5.00 एकड़ से अधिक भूमि वाले उत्तरदाताओं को सम्मिलित किया गया है।

भू-आकार (एकड़ में) और उत्तरदाताओं की संख्या—

भू-आकार (एकड़ में)	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
0-1	79	26.3
1-2.50	103	34.3
2.50-3.50	68	22.6
3.50-5.00	34	11.3
5 से अधिक	16	5.3
योग	300	100

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 0-1 एकड़ भूमि वाले 26.3 प्रतिशत उत्तरदाता हैं। तथा 1-2.50 एकड़ भूमि वाले 34.3 प्रतिशत, 2.50 से 3.50 एकड़ वाले 22.6 प्रतिशत तथा 5 से अधिक एकड़ भूमि वाले 5.3 प्रतिशत उत्तरदाता हैं।

परिवार का आकार और उत्तरदाताओं की संख्या—

परिवार सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों दृष्टिकोण से समाज की एक आधारभूत इकाई है। परिवार के अभाव में समाज की निरन्तरता सम्भव नहीं है। यह सांस्कृतिक विकास के किसी भी स्तर पर रहा है। परिवार ही व्यक्ति के समाजीकरण की प्राथमिक इकाई है। इससे

ही व्यक्ति के व्यवहार, प्रतिमान निर्धारित होते हैं। इसी से ही सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होते रहते हैं। ये सामाजिक विषमता को स्थायी बनाये रखने में महत्वपूर्ण हैं। यह एक सशक्त सामाजिक संस्था है। यह व्यक्ति की सामाजिक मनोवैज्ञानिक और जैविकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। परिवार आकार से व्यक्ति की मानसिकता और उसके सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य निर्धारित होते हैं। आधुनिक समाज व्यवस्था में लघु परिवार उच्च मानदण्ड प्रस्थापित करने में महत्वपूर्ण है। इससे जातीय गतिशीलता का होना स्वाभाविक है। वस्तुतः यह जातीय गतिशीलता के अध्ययन में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मैंने संयुक्त परिवार को महत्व नहीं दिया है। क्योंकि इसमें परिवार की सदस्य संख्या निश्चित नहीं होती है। अतः प्रस्तुत अध्ययन में परिवार के आकार का निर्धारण परिवार के सदस्य संख्या के आधार पर किया है। इसमें किसी भी प्रकार का विभेद स्थापित नहीं किया गया है।

परिवार के सदस्य संख्या के आधार पर परिवार आकार को तीन भागों में विभाजित किया है।

- (1) लघु आकार— इसके अर्न्तगत 05 या इससे कम सदस्यों वाले परिवार को सम्मिलित किया गया है।
- (2) मध्यम आकार— इसके अर्न्तगत 6 से 11 सदस्यों वाले परिवार को सम्मिलित किया गया है।
- (3) वृहद आकार— इसके अर्न्तगत 12 से उपर सदस्यों वाले परिवार को सम्मिलित किया गया है।

परिवार के सदस्यों की संख्या और उत्तरदाताओं की संख्या—

परिवार के सदस्यों की संख्या	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
0-5	86	28.6
6-11	116	38.6
12 से उपर	98	32.6
योग	300	100

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 0-5 सदस्यों वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 28.6 प्रतिशत है तथा 6-11 सदस्यों वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 38.6, 12 से उपर सदस्यों वाले 32.6 प्रतिशत उत्तरदाता है।

मकान की बनावट और उत्तरदाताओं की संख्या—

आवास का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। आवास व्यक्ति के सुख शान्ति से रहने तथा शारीरिक, मानसिक थकान को दूर करने का एक सुरक्षित स्थान होता है। यहाँ तक की आवास सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक है। आवास के बनावट व संरचना के आधार पर व्यक्ति के स्थिति को आसानी से समझा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि पर्याप्त आकार व संरचना वाले मकान में जीवन निर्वाह करे। लेकिन भारत एक विकासशील देश है। यहाँ के अधिकांश निवासी गरीब हैं। और वह विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं। भारत में पर्याप्त मात्रा में आवास नहीं है। अधिकांश लोग अपर्याप्त आकार वाले या छोटी-मोटी कमरों में जीवन निर्वाह कर रहे हैं। आज भी अधिकांश परिवार ऐसे हैं जो एक ही कमरे में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और गाँवों में आज भी अधिकांश मात्रा में घास-फूस की बनी झुग्गी

झोपड़ियों में रह रहे हैं। आवास की बनावट का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा आवास की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में सरकार ग्राम पंचायत के माध्यम से गाँवों में आवास की समस्या का समाधान कर रही है। सरकार आवास के लिए 25000.00 पचीस हजार रुपया प्रदान कर रही है। तथा आवासों की मरम्मत के लिए 12000.00 बारह हजार रुपया दे रही है। लेकिन फिर भी आवास की समस्या बनी हुई है। आवास व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक जीवन को प्रभावित किया है। जिन व्यक्तियों के मकान की बनावट पक्का है उनकी सामाजिक आर्थिक प्रस्थिति उच्च है तथा उनमें जातीय और व्यवसायिक गतिशीलता विद्यमान है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में मकान की बनावट के आधार पर उत्तरदाताओं को दो भागों में विभाजित किया है।

- (1) कच्चा मकान
- (2) पक्का मकान

मकान की बनावट और उत्तरदाताओं की संख्या—

मकान की बनावट	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
कच्चा	172	57.33
पक्का	128	42.66
योग	300	100

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि कच्चा मकान वाले 57.33 प्रतिशत उत्तरदाता हैं तथा पक्का मकान वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 42.66 प्रतिशत है।

मुख्य व्यवसाय और उत्तरदाताओं की संख्या—

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है। भारत का अधिकांश परिवार कृषि से जुड़ा है। व्यवसाय मानव के जीविका के साथ साथ उसकी प्रस्थिति का द्योतक है। व्यवसाय के द्वारा ही व्यक्ति अपनी जीवन निर्वाह तथा अपना एवं अपने परिवार का भरण-पोषण करता है। तथा व्यवसाय के आधार पर ही व्यक्ति की प्रस्थिति का निर्धारण होता है। प्रारम्भ में वर्ण व्यवस्था था जिसमें प्रत्येक वर्ण का व्यवसाय व कार्य भिन्न-भिन्न था। किन्तु वर्तमान में इसका स्थान जाति व्यवस्था ने ले लिया है। जिसमें प्रत्येक जातियों के व्यवसाय को निश्चित किया गया है। तथा दूसरे के व्यवसाय को अपनाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। इसके अन्तर्गत उच्च व्यवसाय करने वाले को उच्च माना गया है। तथा निम्न व्यवसाय करने वाले को निम्न माना गया है। यानि जाति व्यवस्था सम्पूर्ण समाज को उच्चता एवं निम्नता में विभाजित करता है। किन्तु वर्तमान में इस व्यवस्था में शिथिलता आयी है। लोग अपने परम्परागत व्यवसाय को छोड़कर नगरों में जाकर उद्योगों तथा फ़ैक्ट्रीयों में कार्य करने लगे हैं। जिससे उनकी सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से सुधार हुआ है। भारतीय समाज व्यवस्था में परिवारिक व्यवसाय जातिगत आधार पर निर्धारित होते हैं। लेकिन प्रौद्योगिकी विकास ने रोजगार के नये-नये अवसर उपलब्ध कराया है। जिससे जातिगत व्यवसाय का कोई स्थान नहीं है। व्यक्ति की योग्यता, कार्यक्षमता तथा विशेषीकरण की प्रक्रिया ने व्यवसायिक गतिशीलता को तीव्र कर दिया है।

मैंने जातीय गतिशीलता के अध्ययन में उत्तरदाताओं को व्यवसाय के आधार पर पाँच भागों में विभाजित किया है।

- (1) परम्परागत व्यवसाय
- (2) कृषि

- (3) नौकरी
- (4) व्यापार
- (5) अन्य

मुख्य व्यवसाय और उत्तरदाताओं की संख्या—

व्यवसायिक प्रस्थिति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
परम्परागत	50	16.6
कृषि	82	17.3
नौकरी	69	23.0
व्यापार	86	28.0
अन्य	53	17.6

उपरोक्त तालिका में 40 ऐसे उत्तरदाता हैं जो एक या एक से अधिक व्यवसाय में संलग्न हैं। हमने कुल अपने 300 उत्तरदाताओं में ही प्रतिशत की गणना की है।

इस तालिका से ज्ञात होता है कि परम्परागत व्यवसाय करने वाले 16.6 प्रतिशत उत्तरदाता हैं। जबकि कृषि करने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 17.3 है। नौकरी करने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 23.0 है तथा व्यापार करने वाले 28 प्रतिशत उत्तरदाता हैं। जबकि अन्य व्यवसाय करने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 17.6 है। व्यापार करने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक है।

आयगत प्रस्थिति और उत्तरदाताओं की संख्या—

आय के द्वारा ही व्यक्ति के जीवन स्तर का निर्धारण होता है। आय के माध्यम से व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं की

प्राप्ति करता है। तथा आय का व्यक्ति के जीवन से प्रत्यक्ष सम्बन्ध पाया जाता है। आय के आधार पर ही व्यक्ति के मान सम्मान का निर्धारण होता है। आधुनिक भौतिकवादी युग में आय को सामाजिक प्रस्थिति का निर्धारक माना जाता है। इस प्रकार आय का सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान है। आय मान-सम्मान के साथ-साथ सामाजिक सहभागिता का भी निर्धारक है। भारतीय धर्म शास्त्रों में अर्थ का भी उल्लेख किया गया है। इसलिए हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। जिसमें गृहस्थ आश्रम का उल्लेख मिलता है। जिसे सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि तीनों आश्रमों के व्यक्ति इसी आश्रम पर निर्भर रहते हैं।

परम्परागत ग्रामीण समुदाय में कृषि ही आय का प्रधानश्रोत रहा है। कृषि और कृषि जनित व्यवसाय से ही व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक प्रस्थिति और शक्ति संरचना का निर्धारण होता है। आधुनिक गाँवों में भू-सुधार, नीतियों, आरक्षण नीतियों और स्वतः रोजगार योजना जैसी आर्थिक नीतियों ने व्यक्ति को रोजगार के अवसर प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। इसमें औद्योगिकरण व नगरीकरण की भूमिका महत्वपूर्ण है। इससे व्यक्ति परम्परागत व्यवसाय से विमुख हुआ है। जिससे व्यवसायिक गतिशीलता की मात्रा में वृद्धि हुई है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में मैंने आयगत प्रस्थिति के आधार पर उत्तरदाताओं को तीन भागों में विभाजित किया है।

- (1) निम्न आयगत प्रस्थिति— 0-20000.00 रुपये
- (2) मध्यम आयगत प्रस्थिति— 21-60000.00 रुपये
- (3) उच्च आयगत प्रस्थिति— 61000 से उपर

आयगत प्रस्थिति और उत्तरदाताओ की संख्या—

आयगत प्रस्थिति	उत्तरदाताओ की संख्या	प्रतिशत
निम्न 0—20000	126	42.0
मध्यम 21— 60000	130	43.33
उच्च 61000 से उपर	44	14.66
योग	300	100

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है की निम्न आय के 42 प्रतिशत, मध्यम आय के 43.33 प्रतिशत तथा उच्च आय के 14.66 प्रतिशत उत्तरदाता है।

आयुगत प्रस्थिति और उत्तरदाताओ की संख्या—

किसी भी समाज मे आयु तथा वर्ग का जनसंख्या संरचना से घनिष्ठ सम्बन्ध है। भारतीय समाज मे इस तथ्य को प्राचीन काल से महत्व प्रदान किया जाता रहा है। आयु के आधार पर ही व्यक्ति अपने कार्यों का सम्पादन करता है। इसी तथ्य के आधार पर आश्रम व्यवस्था की स्थापना की गयी जिससे व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन को 100 वर्ष मानकर उसे चार बराबर-बराबर भागो मे बाँट दिया गया और प्रत्येक को एक आश्रम की संज्ञा दे दी गयी। इसी आश्रमो मे व्यक्तित्व रहता हुआ अपने कार्यों का सम्पादन करता है। प्रत्येक आश्रम मे व्यक्ति के अलग-अलग कर्तव्य बताये गये है। इस प्रकार आयु का न केवल शारीरिक विकास से सम्बन्ध है। बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक परिपक्वता एवं निर्णय की क्षमता व परिस्थितियो का सामना करने से भी सम्बन्धित है। आयु मे वृद्धि के साथ- साथ व्यक्ति की शारीरिक मानसिक तथा बौद्धिक

विकास होता है। एक अनुभवी व्यक्ति की समझ एवं समय के अनुरूप कार्य करने की प्रक्रिया में अधिक पढ़े लिखे या नादान व्यक्ति को विषम परिस्थितियों में कार्य सम्पादन कठिन होता है। आयु व्यक्ति की परिपक्वता और सामाजिक जीवन में अनुभवों का परिचायक है। प्रायः अधिक आयु वर्ग के लोग अर्थात् पुराने लोग परम्परावादी होते हैं जबकि नवीन लोग अर्थात् युवा नवीन मूल्यों अविष्कारों तथा परिवर्तन का महत्त्व देते हैं। वास्तव में आयुवर्ग के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार प्रतिमान मूल्य आदि में भिन्नता का भाव समाहित होता है। तथा युवा आधुनिकतावादी होते हैं। जो किसी भी क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को शीघ्र स्वीकार करते हैं।

प्रायः ग्रामीण सामाजिक जीवन में पुराने आयु वर्ग के लोग शहरों की अपेक्षा अधिक परम्परावादी होते अर्थात् ये परम्पराओं से चिपके रहते हैं। इनमें परम्पराओं के विरुद्ध तार्किकता और चिन्तन का अभाव होता है। नयी पीढ़ी में किसी समस्या या प्रचलित व्यवस्था के प्रति सोचने की प्रवृत्ति अधिक पायी जाती है। ये आधुनिकतावादी होते हैं। इनके विचारों में तार्किकता का विचार सन्निहित होता है। ये नवीन सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों से अपने व्यवहार प्रतिमान का निर्धारण करते हैं। उग्र और परम्परा विरोधी सामाजिक चिन्तन और मानसिकता के परिपेक्ष्य में ये उग्रगामी होते हैं। इस सन्दर्भ में न्युकाम्ब का कालेज के विद्यार्थियों पर किया गया अध्ययन उल्लेखनीय है। कि वे सन्दर्भ समूह के आदर्शों को अस्वीकार कर देते हैं। यही नहीं वे इन आदर्शों के विपरित नवीन आदर्शों का निर्माण करते हैं।³ वस्तुतः किसी भी अध्ययन में आयुवर्ग एक महत्वपूर्ण कारक है। आयु के साथ-साथ व्यक्ति के व्यवहार प्रतिमान और वैचारिकीय में भिन्नता होती है। अतः नवीन सामाजिक राजनैतिक परिवेश में आयुवर्ग की महत्ता अधिक है।

मैंने जातीय गतिशीलता के अध्ययन में उत्तरदाताओं को आयु वर्ग के आधार पर उत्तरदाताओं को चार भागों में विभाजित किया है। ताकि आयुवर्ग की जातीय गतिशीलता के सन्दर्भ में भूमिका का गहन अध्ययन किया जा सके।

- (1) युवा वर्ग— इसके अर्न्तगत 30 वर्ष या इससे कम आयु के उत्तरदाताओ को सम्मिलित किया गया है।
- (2) प्रौढ़— इसके अर्न्तगत 30 वर्ष की आयु से लेकर 45 वर्ष से कम आयु के उत्तरदाताओ को सम्मिलित किया गया है।
- (3) अति प्रौढ़— इसके अर्न्तगत 45 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु के उत्तरदाताओ को सम्मिलित किया गया है।
- (4) वृद्ध— इसके अर्न्तगत 60 वर्ष से अधिक आयु के उत्तरदाताओ को सम्मिलित किया गया है।

(3) न्युकाम्ब— परसानिलिटी एण्ड सोशल चेन्ज न्युयार्क 1943
 सोशल साइक्लोजी न्युयार्क 1950 मर्टन आर0 के0 द्वारा सोशल
 श्योरी एण्ड सोशल स्ट्रक्चर मे उद्घृत 1968 पी 354

आयुगत प्रस्थिति और उत्तरदाताओ की संख्या—

आयुगत प्रस्थिति	उत्तरदाताओ की संख्या	प्रतिशत
युवा	133	44.3
प्रौढ	65	21.6
अति प्रौढ	46	15.3
वृद्ध	56	18.6
योग	300	100

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि युवा उत्तरदाता 44.3 प्रतिशत है तथा प्रौढ 21.6 प्रतिशत अति प्रौढ 15.3 प्रतिशत और 18.6 प्रतिशत वृद्ध उत्तरदाता है।

राजनीतिक सहभागिता और उत्तरदाताओ की संख्या—

आजकल राजनीति धन प्राप्ति तथा भौतिक सुख सुविधाओ को प्राप्त करने का एक साधन बन गया है। वह सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी कार्य को अंजाम देने में संकोच नहीं कर रहे हैं। वर्तमान समय में सत्ता प्राप्ति लक्ष्य बन गया है। और विजयी होने के बाद नेतृत्व कर्ता इन प्राप्तिओ में लग जाते हैं। जिसका परिणाम यह होता है कि अपने सेवा काल के दौरान सार्वजनिक कार्यों की ओर ध्यान नहीं देते हैं।

वर्तमान में किसी भी समाज में चाहे वह हिन्दू समाज हो या मुस्लिम या सिख या ईसाई सभी में राजनीति की लहर दौड़ रही है। सभी समाजों में राजनीति एक सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक

विकास का महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। और वास्तव में यह अध्ययन में देखा गया है। कि जो व्यक्ति राजनीतिक क्रियाओं में भाग ले रहे हैं उनकी सामाजिक आर्थिक प्रस्थिति में उन्नयन हुआ है। और यह व्यवसायिक गतिशीलता ने जातीय गतिशीलता के लिए व्यक्ति को प्रेरित किया है।

मैंने प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में राजनीतिक सहभागिता के आधार पर उत्तरदाताओं को तीन श्रेणियों में विभाजित करके अध्ययन करने का प्रयास किया है।

- (1) अति जागरुक
- (2) मध्यम जागरुक
- (3) सामान्य जागरुक

उत्तरदाताओं की राजनीतिक सहभागिता और उत्तरदाताओं की संख्या—

उत्तरदाताओं की राजनीतिक जागरुकता	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
अति जागरुक	40	13.3
मध्यम जागरुक	210	70.0
सामान्य जागरुक	50	16.6
योग	300	100

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि अतिजागरुक उत्तरदाताओं का प्रतिशत 13.3 है। मध्यम जागरुक 70 प्रतिशत तथा सामान्य जागरुक उत्तरदाता 16.6 प्रतिशत है।

पत्र पत्रिकाओ और उत्तरदाताओ की संख्या—

व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में पत्र पत्रिकाओ का महत्वपूर्ण स्थान है। पत्र पत्रिकाओ के माध्यम से व्यक्ति में नवीन संचार का उद्भव हुआ है। तथा पत्र पत्रिकाए यात्रा में व्यक्ति के लिए मित्र के रूप प्रकट होती है। जहां कोई परिचित नहीं होता है तथा अकेले में पत्र पत्रिकाओ के द्वारा ही व्यक्ति अपने सामाजिक आर्थिक विकास करने में सफल हुआ है।

अध्ययन में यह देखा गया है कि जो व्यक्ति पत्र पत्रिकाओ का सहयोग लेता या उसका अध्ययन करता है उनमें आधुनिकता का गुण समाहित है। और आधुनिकता ही मानव जीवन को भौतिक सुख सुविधाओ की ओर उन्मुख किया है। और ये भौतिक सुख सुविधाए मानव के सामाजिक, आर्थिक विकास को इंगित करता है और यह सामाजिक आर्थिक प्रस्थिति में व्यक्ति को व्यवसायिक तथा जातीय गतिशीलता की ओर प्रेरित किया है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में मैंने पत्र-पत्रिकाओ के आधार पर उत्तरदाताओ को पाँच श्रेणियों में विभाजित किया है।

- (1) दैनिक जागरण
- (2) आज
- (3) अमर उजाला
- (4) कौमी आवाज
- (5) आवाज मुल्क

पत्र पत्रिकाओ और उत्तरदाताओ की संख्या—

समाचार पत्रिकाएं	पत्र	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
दैनिक जागरण		81	27.0
आज		48	16.0
अमर उजाला		62	20.6
कौमी आवाज		67	22.3
आवाज मुल्क		42	14.0
योग		300	100

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि दैनिक जागरण पढ़ने वाले 27 प्रतिशत उत्तरदाता हैं। जबकि आज दैनिक पत्रिका पढ़ने वाले 16 प्रतिशत उत्तरदाता हैं। अमर उजाला पढ़ने वाले 20.6 उत्तरदाता हैं। जबकि कौमी आवाज पढ़ने वाले 22.3 प्रतिशत उत्तरदाता हैं। तथा सबसे कम आवाज मुल्क पढ़ने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत है। जो 14 प्रतिशत है तथा सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला दैनिक जागरण का प्रतिशत है।